

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,

विशेष सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2019

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-ललितपुर की 30 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8155/49/10/छः/विविध/2017-18, दिनांक 18.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-ललितपुर की नगर पंचायत, तालबेहट की मलिन बस्तियों में पेवर ब्रिक्स व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग 30 परियोजनाओं, जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है, हेतु कुल ₹0 183.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष कुल ₹0 183.63 लाख (रूपये एक करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार मात्र) एकमुश्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासनादेश संख्या-305/2018/504/69-1-18-60(म0ब0-83)/2018 दिनांक 31.03.2018 द्वारा आवंटित धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया गया है।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2015, दिनांक 30.03.2018 व समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

संख्या-59/2019/2318(1)/69-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ललितपुर।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ का नाम।	बस्तीकार्य का विवरण।/वार्ड का नाम/	परियोजना की कुल लागत।	स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	ललितपुर	न0पं0, तालबेहट	वार्ड नं0-01 तालबेहट वंशकार बस्ती में शंकर जी के मंदिर के सामने चौक में, श्री देशराज वंशकार के मकान से श्री पालक वंशकार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.14	4.14
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 तालबेहट वंशकार बस्ती में श्री गया वंशकार के मकान से श्री प्रभू वंशकार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.13	1.13
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 तालबेहट वंशकार बस्ती में श्री कल्लू वंशकार के मकान से श्री गुड्डी वंशकार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.87	0.87
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 तालबेहट श्री गंगा अहिरवार के मकान से श्री दीपक अहिरवार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.78	1.78
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 तालबेहट श्री पवन कोरी के मकान से श्री उपराव कोरी के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.41	4.41
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 तालबेहट श्री नाथूराम कोरी के मकान से श्री दयाली कोरी के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.44	9.44
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 तालबेहट श्री महेश अहिरवार के मकान से श्री राजकुमार रजक के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	18.96	18.96
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 कबीरनगर में श्री कबीर नगर वार्ड में श्री विजय कुमार के मकान से श्री इकरार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.62	3.62
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 श्री तुलसी अहिरवार के मकान से श्री बल्देव अहिरवार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.96	13.96
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 श्री हरिचन्द्र अहिरवार के मकान से श्री रामेश्वर अहिरवार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.75	7.75
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 में श्री बिहारी अहिरवार के मकान से डा0 चांदसी के अस्पताल रोड तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.33	10.33

12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 में श्री विनोद कोरी के मकान से श्री मदन के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.82	7.82
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 तालबेहट श्री जैकी कोरी के मकान से श्री रामसेवक के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.41	5.41
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 तालबेहट श्री हरदेव कोरी के मकान से गुडडी के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.38	10.38
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-04 तालबेहट श्री पहलूराम रजक के मकान से पूरन रजक के मकान होते हुये श्री मनोज श्रीवास के मकान के आगे तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.90	6.90
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट द्वारिका बाल्मिकी के मकान से श्री राजेश बाल्मिकी के मकान पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.30	1.30
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट श्री ललन बाल्मिकी के मकान से श्री सोनू बाल्मिकी के मकान तक एवं राजेश बाल्मिकी के मकान से होते हुये श्री मनोज बाल्मिकी के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.88	4.88
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट श्री श्री शिशुपाल बाल्मिकी के मकान से श्री नाथूराम रजक के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.16	6.16
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट श्री नाथूराम रजक के मकान के आगे से श्री रामप्रसाद रजक के मकान से होते हुये श्री मनोज बाल्मिकी के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.60	8.60
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट अंजनीनगर में श्री कुन्जीलाल अहिरवार के मकान के सामने से श्री मनोज रजक के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.85	4.85
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट अंजनीनगर में श्री लखन बाल्मिकी के मकान से श्री सरमन बाल्मिकी के मकान से होते हुये श्री मनोज बाल्मिकी के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.04	2.04
22	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट अंजनी नगर में श्री मोहन रजक के मकान से श्री हरीराम रजक के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.60	2.60
23	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट अंजनीनगर में सचिन बाल्मिकी के मकान से श्री किरन बाल्मिकी के मकान से होते हुये श्री टिंकू बाल्मिकी मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.80	1.80
24	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 अंजनीनगर में श्री अकतार अहिरवार के मकान से श्री हरीसिंह अहिरवार के मकान तक पेवर ब्रिक्स	1.92	1.92

			रोड एवं नाली निर्माण कार्य।		
25	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 अंजनीनगर में श्रीमती आरती वर्मा के मकान से श्री कुन्जी लाल अहिरवार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.70	2.70
26	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 अंजनीनगर में श्री लालाराम कोरी के मकान से श्री ओमजी कोरी के मकान के आगे तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.48	4.48
27	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 अंजनीनगर में श्री सीमा कोरी के मकान के आगे से श्री महेन्द्र रजक के मकान के आगे तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.01	10.01
28	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-06 तालबेहट श्री निषाद नगर में प्रेम बाल्मीकि के घर से श्री आशीष के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.73	11.73
29	तदैव	तदैव	कबीरनगर वार्ड में स्टेट बैंक श्री महेश अहिरवार के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.89	9.89
30	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-05 तालबेहट अंजनी नगर में श्री मनोज रजक के मकान से श्री सीताराम अहिरवार के मकान के आगे तक पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.77	3.77
<b>योग</b>				<b>183.63</b>	<b>183.63</b>

(रूपये एक करोड तिरासी लाख तिरसठ हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>